भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश

राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002 (म.प्र.)

दूरभाष : 0755-2661263, 2737446, फैक्स - 2661263

website : bsgmp.net, E-mail: scoutguide_bpl@dataone.in, scoutguide_bpl@hotmail.com

क्र. /1082/रा.मु./स्था./2016 दिनांक 02-06-16

आदेश

श्री डी.पी.मिश्रा, तत्कालीन सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट, संभागीय कार्यालय शहडोल को आदेश कमांक/5027–28/अनिवार्य सेवा नि./रा.मु./2013 भोपाल, दिनांक 14.11..2013 के द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्व श्री मिश्रा द्वारा जन शिकायत निवारण विभाग में उक्त पारित आदेश के विरूद्व शिकायत दर्ज की गई। जिस पर मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ज्ञापन कमांक/1620/1134/2013/20–4 दिनांक 18.12.2013 के द्वारा उक्त शिकायत पत्र जॉच हेतु आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल को अधिकृत किया गया। शासन द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन को मान्य कर श्री मिश्रा के विरूद्व अनिवार्य सेवा निवृत्ति की कार्यवाही को नियम विरूद्व पाया जाकर आदेश कमांक/अनुदान/सी/भोपाल/स्का./गा./2013/262–63 भोपाल, दिनांक 9.5.2014 के द्वारा श्री मिश्रा के विरूद्व अनिवार्य सेवा निवृत्ति आदेश निरस्त कर उन्हें सेवा में वापस लेने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस बीच श्री मिश्रा द्वारा भारत स्काउट एव गाइड मध्यप्रदेश की अपीलीय समिति को अपनी अपील प्रस्तुत की गई।

उक्त अपील की सुनवाई अपीलीय समिति द्वारा दिनांक 22.03.2016 को की गई, जिसमें श्री मिश्रा के द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये एवं शासन के आदेश कमांक/अनुदान/सी/भोपाल/स्का./गा./2013/262–63 भोपाल दिनांक 9.5.2014 को दृष्टिगत रखते हुए श्री मिश्रा के अनिवार्य सेवा निवृत्ति आदेश को निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उक्त अनुशंसा के आधार पर श्री डी.पी.मिश्रा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दिनांक 14.11.2013 में प्राप्त हो रहे वेतनमान पर सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट पद पर पदस्थ करते हुए राज्य मुख्यालय भोपाल में सहायक राज्य सचिव पद का दायित्व सौपा जाता है।

श्री मिश्रा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक 14.11.2013 से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि किसी भी प्रयोजन के लिये सेवा में मान्य नहीं होगी और "कार्य नहीं –वेतन नहीं" के सिद्वान्त पर उन्हें उक्त अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

(पारस चन्द्र जैन)
राज्य मुख्य आयुक्त
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

पृ0क्र0/ 03 /रा0मु0/स्था./2016 भोपाल, दिनांक 09/6/2016

प्रतिलिपि:- **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।**

1.संचालक, भारत स्काउट एंव गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली की ओर ।

2.राज्य सचिव, भारत स्काउट एंव गाइड ,राज्य मुख्यालय भोपाल की ओर ।

3.अपर मुख्य सचिव, स्कुल शिक्षा विभाग, मंत्रालाय वल्लभ भवन भोपाल की ओर ।

4.आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश की ओर ।

5.राज्य संगठन आयुक्त /राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड ,राज्य मुख्यालय भोपाल

6.सहायक राज्य संगठन आयुक्त, भारत स्काउट एंव गाइड संभागीय मुख्यालय ~~भोपाल~~ ग्वालियर

7.~~जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीहोर की ओर~~ ।

8.**लेखाधिकारी ,** भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश ,राज्य मुख्यालय भोपाल की ओर पालनार्थ।

9.संबंधित **श्री डी.पी. मिश्रा, मकान न.333/103 बी सेक्टर ,सर्वधर्म कालोनी कोलार रोड भोपाल** की ओर पालनार्थ।

10.स्थापना कक्ष ,राज्य मुख्यालय भोपाल की ओर ।

11.व्यक्तिगत सेवा पुस्तिका ।

राज्य मुख्य आयुक्त
भारत स्काउट एंव गाइड
मध्यप्रदेश

E:\DP\Order.docx\Project Computer